न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉं जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–11 / 2024

GCMS NO:- 2024/139

दायर दिनांक: 09.07.2024

पीठासीन अधिकारी :-- श्रीमती प्रीति मीणा

अनिता पत्नी महावीर मीणा नि0 गुढासदावर्तिया तहसील नैनवॉं वगै0 (कुल 6)

– प्रार्थीगण

बनाम

कमलेश पुत्री छोटू मीणा नि0 गुढासदावर्तिया तहसील नैनवॉं वगै. (कुल 23)

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हसन मियां।

निर्णय दिनांक 31.07.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम कालामाल तहसील नैनवॉं मे खाता संख्या 168 की कृषि भूमि खसरा संख्या 373 रकबा 0.9304 हैक्टयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि पर आने जाने व कृषि यंत्रों को लाने व ले जाने के लिए खसरा नम्बर 60 गै0मु0 रास्ता गुढासदावर्तिया से होकर खसरा नम्बर 61 सिवायचक भूमि प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 13 की भूमि खसरा नम्बर 381 मे होकर नहर के पास पास सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 382 मे होते हुए नहर का धोरा खसरा नम्बर 380 पर होकर सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 374 मे होकर अपनी खातेदारी भूमि पर आने जाने के लिए भूमि का रास्ते के रूप मे उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है जिसे परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। परिशिष्ट अ मे प्रदर्शित रास्ता ही प्रार्थीगण की भूमि पर जाने का एकमात्र रास्ता है। प्रत्यार्थीगण संख्या 1 लगायत 13 प्रार्थीगण से रंजिश रखते है तथा रास्ता नक्शे मे तरमीम नही होने से प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर आने जाने मे अवरूद्व पैदा करने लगे है तथा आये दिन लडाई झगडा करने पर उतारू हो जाते है। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

यह कि प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से बताये गए रास्ते को 15 फूट चौडा रास्ते के रूप मे राजस्व रिकॉर्ड मे रास्ता घोषित करवाकर इस आशय का अंकन समस्त राजस्व रिकॉर्ड मे करवाकर नक्शे की तरमीम करवाये जिसके लिए प्रार्थीगण प्रतिकर राशि भी जमा करवाने के लिए तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

आज दिनांक 31.07.2025 को हमने प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जिस खसरा नम्बर 373 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉं